

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार सीकर के पत्रांक 4014 दिनांक 03.07.2024 द्वारा राजस्व ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर खसरा नम्बर 1447/1229, 1448/1229, 1228/146 व 1229/146 की तरमीम दुरुस्ती बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर होकर पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 30.09.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

30/9/24

नामिजारी पेशी पत्रावली पत्रांक 4014 दिनांक 03.07.2024 द्वारा राजस्व ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला सीकर खसरा नम्बर 1447/1229, 1448/1229, 1228/146 व 1229/146 की तरमीम दुरुस्ती बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर होकर पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 30.09.2024 को पेश हो।

पुस्तक
पत्रावली के
अनुसार
रिपोर्ट
दिनांक 30/9/24

14/10/24

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखे है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/10/24 को पेश हो।

18/10/24

पत्रावली पेश हुई। लकील/उपपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/11/24 को पेश हो।

8/11/24

पत्रावली पेशी तहसीलदार सीकर उपापत्रांक 4014 दिनांक 3/7/2024 द्वारा राजस्व ग्राम दौलतपुरा तह. व जिला सीकर के ख. न. 1447/1229, 1448/1229, 1228/146 व 1229/146 की तरमीम दुरुस्ती बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर होकर पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली आ.ता.पेशी दिनांक 30.09.2024 को पेश हो।

पुस्तक में ख. नं. 146 का विभाजित नम्बरा एडप्ले बनाया गया था / ना. मा. 186 की पुस्तक पर विभाजित नम्बरा नहीं होने पर दोस्तपुरा के राजत्व नम्बरा लपटों में पुस्तक (सदमा) विभाजन के अनुसार तरमीम सही नहीं की गई / राजत्व नम्बरा लपटों में ख. नं. 146 की तरमीम गल्प होने के उपरान्त ख. नं. 1229/146 रकबा 0.15 हेक्टर में ना. स. 1113 दिनांक 28/11/2020 से कुन: दो नवीन ख. नं. 1448/1229 व ख. नं. 1447/1229 राजत्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये जो वर्तमान तक यथावत हैं।

मूल खसरा नम्बर 146 की तरमीम गल्प होने के कारण उसके पञ्चायत व नं. ख. नं. की तरमीम भी गल्प हो गई हैं। तदानीं तदानीं सीमा डारा ख. नं. 1228/146, 1447/1229, 1448/1229 व दोस्तपुरा की तरमीम कुड़ी करने बाबर, धर्षी अमोउ कु देवराज के आवेदन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट तदानीं तदानीं की अवलोकन किया गया। उक्त

ख. नं. के खातेदारों के पारि नोडिस तत्काल किया गया। प्राचीन अमोउ व योगेश कुमार की ओर से अधिका सी वामल चौधरी धाजिर। प्राचीन गिरधरि, विद्याधर, अमरी, तदानीं तदानीं सीमा बापजू विधिकर तामिल धाजिर नहीं अतः इनके विवाह कर का कार्यवाही अमत्प में लपटें गई। बहस आदि पूरी गई। एवं बहस पर मनन किया गया एवं फावली पर उपलब्ध फावली के अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल ख. नं.

146 का मूल दोस्तपुरा के सदमा विभाजन का नम्बरा ना. मा. 186 की पुस्तक पर दर्ज नहीं होने के कारण राजत्व नम्बरा लपटों में तरमीम गल्प दर्ज हो गई। जिसके पञ्चायत व नं. खसरा नम्बरों के भी तरमीम गल्प हो गई। अतः रिपोर्ट तदानीं तदानीं की लपटें किया गया। ख. नं. 1229।

नहीं होने पर दोस्तपुरा के राजस्व नम्बरा 146 में
पुस्तक लक्ष्मी विभाजन के अनुसार तरमीम सही नहीं की
गई। राजस्व नम्बरा 146 में ख. न. 146 की तरमीम गल्प
होने के उपरान्त ख. न. 1229/146 रकबा 0.15 हेक्टर में ना. स.
113 दिनांक 28/11/20 से कुन: दो नवीन ख. न. 1448/1229
व ख. न. 1447/1229 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये प्रोवर्तमान
तक्यथावत है।

मूल खसरा नम्बर 146 की तरमीम गल्प होने के
कारण उसके पश्चात् ख. न. की तरमीम भी गल्प हो गई है।
तदानीत्यहार सीमा द्वारा ख. न. 1228/146, 1447/1229, 1448/1229
वाकेसाम दोस्तपुरा की तरमीम कुड़ी होने का कल. प्रार्थी अम्बोड का
देवराम के आवेदन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
रिपोर्ट तदानीत्यहार के अवलोकन किया गया उम्प

ख. न. के खातेदारों के बलिये नोटिस तत्काल किया गया प्रार्थी अम्बोड
व मोगेस कुमा के ओर से अधि. सी. व. म. ल. चौधरी धाजि। प्रार्थी
गिरधरि।, विद्याधर, अमरी, तदानीत्यहार सीमा का पजूड विधिक
तामिल धाजि नहीं अतः इनके खिलाफ करका कार्यवाही अमत्य
में लपाई गई। बहस अधि. कुमी गई। एवं बहस पर मनन
किया गया एवं फावली पर उपाय लय फावावेजों का अवलोकन
किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल ख. न.
146 वाकेसाम दोस्तपुरा के लक्ष्मी विभाजन का नम्बरा
ना. सा. 186 की पुस्तक पर दर्ज नहीं होने के कारण राजस्व
नम्बरे लक्ष्मी में तरमीम गल्प दर्ज कर दी गई। जिसके पश्चात्
वने खसरा नम्बरो के भी तरमीम गल्प कर दी गई। अतः
रिपोर्ट तदानीत्यहार को ली जा किया जाता है तथा कुंकि
ख. न. 1228/146, 1447/1229, 1448/1229 वाकेसाम दोस्तपुरा
की शर्तों की तरमीम रिपोर्ट तदानीत्यहार के अनुसार अ-राजस्व अधि. वि. म.
के धारा 136 के अध्यानों के तहत प्रदान की जाती है। रिपोर्ट तदानीत्यहार
निर्णय का भाग रहेगा। फावली के तहत अन्तर्गत नम्बरा के कम
है। धाजि लक्ष्मी धाजि। निर्णय आज़मरे धराएत से कुनया गया।

अखण्ड अधिकारी, सीकर 08/11/24